आदिवासी जमीन केवल सरकार ले, संरक्षण दे

राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी का कहना है कि आदिवासियों की जमीन बची रहनी चाहिए. झारखंड में आदिवासी जमीन की लूट हुई है. बिचौलियों ने आदिवासी की जमीन जैसे-तैसे बेची है. आदिवासी जमीन को संरक्षण मिलना चाहिए. आदिवासी जमीन खरीद का अधिकार केवल सरकार के पास हो. सीएनटी को लेकर विकास बाधित नहीं होना चाहिए. आदिवासियों को भी मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है. सरकार जमीन बैंक बनाये और औद्योगिक विस्तार के लिए गैरमजरुआ, परती जमीन, गोचर को उपलब्ध कराये. सीएनटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए. अगर आदिवासियों की जमीन कल-कारखाने के लिए ली जाती है, तो सरकार उसे बाजार मूल्य पर भुगतान करे.

सीएनटी एक्ट पर राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी से बातचीत

सीएनटी को लेकर राज्य में विवाद है. ऐसा कहा जा रहा है कि विकास बाधित हो रहा है.

सबसे पहले, तो आदिवासियों की जमीन बचाने की जरूरत है. सीएनटी एक्ट आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए है.

सरकार को संरक्षण देना चाहिए. आदिवासी की जमीन को कम कीमत पर खरीदी जाती है. इस पर रोक लगायी जानी चाहिए. आदिवासी ठगे जा रहे हैं. आदिवासी जमीन पर बिचौलिये कमीशन खाते हैं.

सीएनटी कानून के रहते हुए आदिवासी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री हुई. रास्ता क्या है?

आदिवासियों की जमीन खरीदने का अधिकार केवल सरकार के पास रहे. सरकार इनको संरक्षण दे. आदिवासी जमीन का कस्टोडियन सरकार बने. आदिवासी जमीन को जो चाहे, खरीदे और फिर बेचे यह परंपरा बंद होनी चाहिए. सरकार को लगता है कि विकास के लिए आदिवासी जमीन चाहिए, तो उचित मुआवजा मिले. जमीन पर वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान होना चाहिए. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाजार मूल्य कम दिखाया जाता है. सरकार अगर आदिवासी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो उसे केंद्र सरकार के अधिकृत वैल्यूअर से जमीन की कीमत आंकी जानी चाहिए.

सीएनटी में संशोधन की बात हो रही है. आप इसके पक्ष में हैं

आदिवासियों के हित में इसमें संशोधन होना चाहिए. आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए संशोधन होना चाहिए. आदिवासी को उनकी जमीन पर लोन नहीं मिलता है. ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि आदिवासी अपनी जमीन पर लोन ले सकें. आदिवासी विस्थापन की मार झेलते रहे हैं. आदिवासी जमीन अगर विकास के काम में लिया जाता है, किसी कल-कारखाने बनाने में उनकी जमीन जाती है. तो यह तय होना चाहिए कि कंपनी के लाभ 20 प्रतिशत रैयतों को मिले. जिनकी जमीन गयी है, उनको नियमित रूप से लाभांश मिलता रहा. दूसरी ओर सरकार को जमीन का स्लैब बनाना चाहिए. उस स्लैब के अंदर अगर किसी की जमीन गयी है, तो उसे संबंधित सरकारी या निजी कंपनी में स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए.

सीएनटी में पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया है. गैर आदिवासियों में इसको लेकर रोष है?

सरकार को सभी के लिए रास्ता निकलना चाहिए. किसी का हक मारा ना जाये. राज्य में विकास और सौहार्द का माहौल बनाये रखना सरकार के साथ-साथ समाज की जिम्मेवारी है.

ऐसे विवाद से उद्योग जगत में निराशा नहीं होगी.

सबकुछ सरकार की इच्छाशक्ति पर है. सरकार अगर विकास चाहती है, तो होगा. झारखंड में जमीन की समस्या जरूर है. लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति भी जरूरी है. सरकार जमीन बैंक बनाये. इसमें इस्तेमाल में नहीं आने वाली जमीन शामिल हो.

गैर मजरुआ जमीन, परती जमीन सरकार औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध करा सकती है. सरकारी स्तर पर काम में तेजी और काम लटकाने की मंशा नहीं रहेगी, तो उद्योग जगत में विश्वास जगेगा. झारखंड में हालात सुधारने की जरूरत है.

PRABHAT KHABAR
Pg. 02 Dt 01/02/2012